

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 119
No. 233]	DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939	[N.C.T.D. No. 119

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जून, 2017

फा. सं. 3(10)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/341.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल रजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणों को प्रस्तुत करने, समेकित कर के संगणन और बंदोबस्त और इलैक्ट्रॉनिक के माध्यम से बिलों के लिए समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) को अधिसूचित करते हैं।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाइट अभिप्रेत है।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
एस. के. गुप्ता, उप-सचिव-VI (वित्त)

**FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd June, 2017

**F. No. 3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/341.**—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

**Explanation :** For the purposes of this notification, “[www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in)” means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force on the date of its issuance.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. GUPTA, Dy. Secy.-VI (Finance)